राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(220)नविवि/3/2012 जयपुर, दिनांक 31 JAN 2013

स्पष्टीकरण आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.01.2013 द्वारा राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत आने वाली भूमि के संबंध में उक्त नियमों के नियम 6 के अनुसार निर्धारित की गई आरक्षित दर के आधार पर ही उक्त नियमों के नियम 7 के अनुसार देय अरबन असेसमेंट/ग्राउण्ड रेन्ट/लीज रेन्ट वसूल किया जाने बाबत् जारी किया गया था जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि **"समस्त संस्थानिक आवंटनों में लीज राशि की गणना उपरोक्त नियम 7(i) के अनुसार आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से की जावेगी।"**

इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरणों में विभागीय आदेश प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 29.8.2006 एवं प.3(55)नविवि/3/2002पार्ट दिनांक 24.08.2012 अनुसार आवंटन दर पर ही लीज राशि देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर0के0पारीक)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
9. समस्त अधिकारीगण/समस्त शाखायें नगरीय विकास विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय